संख्या- 11 /2025/361/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

मत्स्य विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 03-04-2025

विषयः उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 04 मदों के सम्बंध में मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 105/नि0शा0/म0पा0क0को0/ 2024-25 दिनांक 28.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 04 मदों - मछली पकडने के जाल/ उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बाक्स आदि उपलब्ध कराना, जल जीव पालन सम्बंधी गतिविधियों हेतु विद्युत पर राज्य सहायता, वृद्वावस्था सहायता, मत्स्य पालन सम्बंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण/ मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता हेतु मार्ग- निर्देश निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 04 मदों - मछली पकडने के जाल/ उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बाक्स आदि उपलब्ध कराना, जल जीव पालन सम्बंधी गतिविधियों हेतु विद्युत पर राज्य सहायता, वृद्वावस्था सहायता, मत्स्य पालन सम्बंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण/ मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1.मछली पकड़ने के जाल /उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि उपलब्ध कराना:

1.1 उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/ 55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ परिवारों को मछली पकड़ने के जाल /उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य पालक /मछुआ, जो मछली पकड़ने के जाल/उपकरणों और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि जैसी किसी अन्य परियोजनान्तर्गत कोई अनुदान की सुविधा प्राप्त नहीं किए हों (निषादराज बोट योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विपणन के लाभार्थी को भी इस योजना

का लाभ देय नहीं होगा), उन्हें इस कार्यक्रम /योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए अनुदानित किया जाएगा । परियोजना का स्वरूप एवं उसमे समाहित घटकों का विवरण तथा घटकवार निर्धारित धनराशि एवं देय अनुदान धनराशि निम्नवत होगी:

क्रमांक	मद	यूनिट/ संख्या	परियोजना धनराशि(₹)	लाभार्थी अंश (%60)	अनुदान (%40)
1	आइस बॉक्स (न्यूनतम क्षमता 50 ली(0	01	4000	2400	1600
2	हैवी ड्यूटी मोपेड	01	56000	33600	22400
	योग		**60000**	**36000**	**24000**

1.2 पात्रता हेतु मानक

आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक , केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुडा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

1.3 लाभार्थी चयन प्रक्रिया

1.3(1) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा ।

1.3(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा ।

1.3(3) प्रदेश स्तर पर उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार लक्ष्य निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरांत धनराशि जनपदों को आवंटित की जाएगी।

1.4 बहिर्वेशन

मत्स्य पालक /मछुआ जो मछली पकड़ने के जाल/उपकरणों और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि जैसी किसी अन्य परियोजनान्तर्गत कोई अनुदान की सुविधा प्राप्त किए हों यथा निषादराज बोट योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विपणन परियोजनाओं (आटो रिक्शा विद आइस

बाक्स, मोटर साईकिल विद आइस बाक्स आदि) के लाभार्थी इस कार्यक्रम /योजनान्तर्गत चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

1.5 अन्य बिन्दु:

1.5(1) चयनित लाभार्थियों का परियोजनान्तर्गत सामग्री क्रय उपरांत जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन किया जाएगा।

1.5(2) जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा लाभार्थी से वाहन क्रय की रसीद, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, आइस बॉक्स क्रय की रसीद तथा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, परियोजना का जी.पी.एस. फोटोग्राफस आदि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अनुदान सहायता की धनराशि बैकइंडेड सब्सिडी के रूप मे डी.बी.टी. द्वारा एक किश्त में लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित /उपलब्ध कराई जाएगी।

1.5(3) अनुदानित लाभार्थी को कम से कम 05 वर्ष तक परियोजना के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य होगा, लाभार्थी द्वारा अनुदान प्राप्ति के उपरांत यदि परियोजना/कार्यक्रम के अनुरूप कार्य/व्यवसाय नहीं किया जाता है तो दी गई अनुदान सहायता धनराशि संबंधित से नियमानुसार वसूली की जाएगी।

1.5 (4) योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

1.5(5) शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या 1 से 20 तक में उल्लिखित प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

2. जल जीव पालन संबंधी गतिविधियों हेतु विद्युत पर राज्य सहायता

2.1 उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक/मछुआ को जल-जीव पालन संबंधी गतिविधियों हेतु विद्युत पर राज्य सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मत्स्य पालक/मछुआरा परिवारों को मत्स्य पालन से संबंधित तालाबों, एवं अन्य परियोजनाओं मे जलापूर्ति के लिए नलकूपों के संचालन आदि हेतु लिए गए मात्स्यिकी गतिविधि हेतु वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन के व्यय भार पर निम्नलिखित मानकों के अनुसार उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से सहायता धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा-

(अ) एक वित्तीय वर्ष में प्रति हे0 अधिकतम 5000 यूनिट वार्षिक विद्युत भार पर ही सहायता धनराशि दी जा सकेगी।

(ब) न्यूनतम 0.20 हे0 से अधिकतम 2.00 हे0 की सीमा तक के तालाब पर विद्युत कनेक्शन धारक को सहायता प्रदान किए जाने हेतु यूनिट की गणना तालाब क्षेत्रफल के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

(स) मत्स्य पालन तालाबों /मत्स्य बीज रियरिंग तालाब एवं आर0ए0एस0/ बायोफलॉक/ हैचरी में जलापूर्ति हेतु

वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन होना चाहिए।

(द) आवेदक द्वारा भुगतान किए गए बीजक एवं भुगतान रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित मत्स्य पालक/मछुआ को उसके द्वारा विद्युत विभाग को कुल भुगतान की गई धनराशि का 40% धनराशि अनुदान सहायता के रूप में उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से प्रदान किया जाएगा ।

2.2 पात्रता हेतु मानक:

2.2(1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोंडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

2.2(2) विद्युत कनेक्शन आवेदक पट्टाधारक/ मत्स्य पालक के नाम से ही होना आवश्यक है ।

2.2(3) विद्युत कनेक्शन LMV5(वाणिज्यिक) श्रेणी में मात्र मात्स्यिकी हेतु होना आवश्यक है ।

2.2 (4) तालाब का क्षेत्रफल न्यूनतम 0.20 हे0 से अधिकतम 2.00 हे0 तक की सीमा तक होना चाहिए, आर.ए.एस./ बायोफलोंक/ हैचरी की स्थिति में क्षेत्रफल के स्थान पर परियोजना की इकाई होगी ।

2.3 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:

2.3(1) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा ।

2.3 (2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा ।

2.3(3) प्रदेश स्तर पर उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार लक्ष्य निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को आबंटित की जाएगी।

2.4 अन्य बिन्दु:

2.4(1) चयनित लाभार्थियों को विद्युत सहायता की धनराशि मत्स्य पालन से संबंधित तालाबों एवं अन्य मत्स्य पालन परियोजनाओं मे जलापूर्ति हेतु लिए गए नलकूपों पर मात्स्यिकी हेतु विद्युत कनेक्शन (LMV5 वाणिज्यिक श्रेणी) के व्यय भार पर भुगतान किए गए बीजक एवं भुगतान रसीद को प्रस्तुत करने पर संबंधित चयनित लाभार्थी को उसके द्वारा विद्युत विभाग को कुल भुगतान की गई धनराशि का 40% धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी ।

2.4(2) चयनित लाभार्थियों को सहायता/ अनुदान का लाभ दिए जाने के पूर्व जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा नलकूप आदि पर विद्युत संयोजन का स्थलीय सत्यापन जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स सहित किया जाएगा एवं अनुदान सहायता की धनराशि विद्युत विभाग से सत्यापन उपरांत बैकइंडेड अनुदान के रूप में डी0बी0टी0 द्वारा लाभार्थी के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

2.4(3) कार्यक्रम / योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

2.4(4) शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या 1 से 20 तक में उल्लिखित प्रविधान प्रभावी रहेंगे।

3. वृद्धावस्था सहायता:

3.1 उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मत्स्य पालक / मछुआरा वृद्धजनों को वृद्धावस्था सहायता प्रदान प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या :7/2015/1068/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 24 अप्रैल 2015, शासनादेश संख्या -22/2015/2123/26-2-2015 समाज कल्याण अनुभाग -2 दिनांक 14 सितंबर 2015, शासनादेश संख्या -09/2018/794/26-2-2018- 100(02)/2007 समाज कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 16 मई, 2018, द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के जारी दिशा निर्देशों /निर्धारित मानकों / धनराशि के अनुसार एवं समय समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों / धनराशि के अनुसार मत्स्य पालक / मछुआ परिवार के ऐसे वृद्ध जो समाज कल्याण विभाग की संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना से किन्ही कारणों से अभी तक आच्छादित न हुए हों, उन्हें उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से तात्कालिक रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में निर्धारित मासिक पेंशन की धनराशि के बराबर की धनराशि सहायता के रूप में वृद्धावस्था सहायता प्रदान किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार की सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

3.2 पात्रता हेतु मानक:

3.2(1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक , केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

3.2(2) आवेदक की उम्र न्यूनतम 60 वर्ष होना आवश्यक है ।

3.2(3) आवेदक को आय प्रमाण पत्र के रूप मे यदि लाभार्थी बी0पी0एल0 सूची में है, तो संबंधित सूची की

छाया प्रति अथवा समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या -22/2015/2123/26- 2-2015, दिनांक 14 सितंबर 2015 की व्यवस्थानुसार परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के लिए रु 0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रु0 46,080/- की सीमा तक सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित आय सीमा के अनुसार परिवर्तनीय होगा , संलग्न करना अनिवार्य होगा । निर्धारित मानक /आय सीमा से अधिक के वार्षिक आय वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे ।

3.2(4) आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र (परिवार / कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो एवं आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि भी आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगी।

3.2(5) आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र / प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा समाज कल्याण विभाग / राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से वृद्धावस्था सहायता प्राप्त नहीं किया है / कर रहे है ।

3.3 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:

3.3(1) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा ।

3.3(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा ।

3.3(3) प्रदेश स्तर पर उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार धनराशि निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को आबंटित की जाएगी।

3.3(4) आनलाईन प्राप्त आवेदनों के पात्रता हेतु कल्याण कोष के शासनादेश दिनांक 06 मार्च 2023 एवं अन्य निर्गत सुसंगत शासनादेशों के क्रम मे सत्यापन संबंधित खंड विकास अधिकारी से कराने के उपरांत पात्र पाये गए आवेदकों का चयन हेतु जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर चयन की कार्यवाही करायी जाएगी ।

3.4 अन्य बिन्द :

3.4(1) चयनित लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में निर्धारित मासिक पेंशन की धनराशि के बराबर धनराशि ही वृद्धावस्था सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा ।

3.4(2) समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत के उपरांत कल्याण कोष से किसी प्रकार का सहायता अनुमन्य नहीं होगा।

3.4(3) जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सहायता धनराशि भुगतान के पूर्व जनपद के जिला समाज कल्याण एवं जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी से सत्यापित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक द्वारा वृद्धावस्था योजना /अन्य किसी पेंशन योजना में चयनित / लाभान्वित नहीं है ।

3.4(4) कार्यक्रम / योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

3.4(5) शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या 1 से 20 तक में उल्लिखित प्राविधान प्रभावी रहेंगे ।

4. मत्स्य पालन संबंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण/मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता :

4.1 उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालक/ मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक बैंक ऋण / मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है। आर्थिक सहायता की दरें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसार होंगी ।

मत्स्य पालन संबंधी मत्स्य पालक क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज पर आर्थिक सहायता की दरें किसान क्रेडिट कार्ड पर वर्तमान में देय ब्याज पर छूट की राहत दर वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एम – 3/5/2020-AC दिनांक 24-09-2021 के अनुसार मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार ऋण संवितरण की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन ब्याज दर में 3% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट का प्रविधान है । मत्स्य पालक द्वारा बैंक को समय से भुगतान किए जाने पर क्रेडिट कार्ड ऋण की धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ब्याज की भुगतान की गई 4% धनराशि को उ0 प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकेगा।

यह सुविधा मत्स्य पालक/मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी किसान क्रेडिट कार्ड पर जिनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से लिए गए कार्यशील पूजी/ अल्पकालिक ऋण का समय से भुगतान किया गया हो, को उपलब्ध होगी। इस प्रकार से मत्स्य पालक को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी । डिफाल्टर होने व समय से बैंक को ऋण का भुगतान न किए जाने पर उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगा।

4.2 पात्रता हेतु मानक:

4.2(1) आवेदक मत्स्य पालक/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक ,केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोंडिया,कहार,तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हों, इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

4.2(2) आवेदक को आवेदन पत्र में मत्स्य पालक/मछुआरा को मत्स्य पालन संबंधी कार्य हेतु के0सी0सी0 ऋण लिए जाने संबंधी उद्देश्य का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4.3 लाभार्थी चयन प्रक्रिया:

4.3(1) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा ।

4.3(2) लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर उ. प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 मे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाए गए आवेदनों का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाएगा ।

4.3(3) प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम हेतु उपलब्ध बजट सीमा अंतर्गत महानिदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार धनराशि निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालक कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को लाभार्थियों हेतु आबंटित की जाएगी ।

4.3(4) आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा बैंक से लिए गए ऋण पर प्रदान की जा रही 3% के अतिरिक्त अन्य कोई ब्याज राहत किसी अन्य योजना से नहीं लिया है एवं सरकार द्वारा ऋणमाफी से आच्छादित नहीं हुआ है ।

4.4 अन्य बिन्दु:

4.4(1) योजना केवल मात्स्यिकी गतिविधियो हेतु किसान क्रेडिट कार्ड धारकों पर ही लागू होगी ।

4.4(2) योजना का लाभ लाभार्थी को केवल एक बार एवं अधिकतम ऋण सीमा रू० 2.00 लाख तक पर ही प्राप्त होगा एवं अनुदानित धनराशि लाभार्थी के के0सी0सी0 बैंक खाते मे ही अंतरित की जाएगी।

4.4(3) तालाब का क्षेत्रफल 0.200 हे0 से कम नहीं होना चाहिए, आर0ए0एस0/ बायोफलॉक/ हैचरी की स्थिति में क्षेत्रफल के स्थान पर परियोजना की इकाई होगी ।

4.4(4) आवेदक को आवेदन के साथ बैंक को भुगतान किए गए ब्याज के प्रतिशत एवं ब्याज की भुगतानित धनराशि से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक से प्रमाणित प्रति/ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

4.4(5) वित्त विभाग/ राज्य सरकार से बैंक ऋण एवं ब्याज में किसी अन्य राहत स्कीम में राहत प्राप्त किए व्यक्ति को कोष से कोई सहायता अनुमन्य नहीं होगा ।

4.4(6) कार्यक्रम/योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम /योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

4.4(7) शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म -2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या 1 से 20 तक में उल्लिखित प्राविधान प्रभावी रहेंगे ।

3- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष उ0प्र0 मत्स्य अधिनियम-1948 में प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954, उ0प्र0 मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के सम्बंध में अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2023 एवं तत्क्रम में योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा मार्ग- निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त नियमावली में योजना के उददेश्य / शर्तो/ मानकों के निर्धारण / संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्णारण किया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
"RAVINDER KUMAR SINGH RAWAT"
Date: 29-03-2025 12:03:43

अनु सचिव।

संख्या- 11 /2025 /361/ सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/ खाद्य प्रसंस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद तेलंगाना।
5- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9- समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 ।
11- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।